राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर ए एस)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
75/24	07.11.24	07.11.24

बउनवान

चांदूलाल पुत्र श्री मंगलराम निवासी रसीदपुर तहसील महवा जिला दौसा राजस्थान ।

...प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर जिला दौसा राजस्थान ।

...अप्रार्थी

उपस्थित : श्री भुवनेश त्रिवेदी, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आराजी खसरा नंबर 522/3 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 516/3 रकबा 0.09 हैक्टेयर, 516/4 रकबा 0.12 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.28 हैक्टेयर समस्त वाके ग्राम नांगल मीना तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित है जिसका प्रार्थी सम्पूर्ण भूमि का रिकोर्डेड खातेदार दर्ज है जिसमें अन्य कोई साझीदार अथवा भागीदार नहीं है और आराजी पर काबिज होकर अपनी आराजी का उपयोग उपभोग कर रहा है। उक्त आराजी खसरा नम्बरान पर पडौसी मेड–डोल तोडने की कोशिश करते रहते हैं। इस कारण पडोसियों से परेशान होकर प्रार्थी द्वारा अपनी उक्त आराजी की पैमाइश के लिए तहसीलदार मण्डावर के आदेश क्रमांक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 26 क्रमांक 16 दिनांक 17.10.2024 की पालना में गठित राजस्व टीम दिनांक 18.10.2024 को ग्राम नांगल मीना के खसरा नंबर 522/3, 516/3, 516/4 के सीमाज्ञान हेतु मौके पर पहुंची। मौके पर खातेदार एवं ग्रामवासी उपस्थित आये। मौके पर मुस्तकिल बिन्दू खसरा नंबर 47 किस्म गै.मु. कुआ से जरीब चलाकर सीमाज्ञान कराया गया एवं निशानात लगवाये। पडोसियों से परेशान होकर प्रार्थी द्वारा अपनी उक्त आराजी की पैमाइश दिनांक 18.10.2024 को राजस्व अधिकारियों की गठित टीम द्वारा करायी गयी परन्तु उक्त पैमाइश में निशानदेही के साथ पत्थरगढी नहीं करवायी गई जिसमें सीमा विवाद पूर्व की भांति कायम है। इसी कारण प्रार्थी पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर अपनी आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार, ग्राम नांगल मीना तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा नंबर 522/3 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 516/3 रकबा 0.09 हैक्टेयर, 516/4 रकबा 0.12 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.28 हैक्टेयर का प्रार्थी दर्ज रिकार्ड खातेदार है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात का दिनांक 18.10.24 को तहसीलदार मण्डावर के द्वारा गठित टीम के द्वारा सीमाज्ञान किया जा चुका है। प्रार्थी अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इससे राजस्व अभिलेख में किसी भी पक्षकार के किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

प्रार्थना पत्र संख्या 75/24
चांदूलाल बनाम सरकार
निर्णय दिनांक 07.11.2024

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम नांगल मीना तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 522/3, 516/3, 516/4 कुल किता 3 कुल रकबा 0.28 हैक्टेयर भूमि के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बरान की पत्थरगढी किये जाने के लिये भू. अ. निरीक्षक उकरूंद को 1500/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियूक्त किया जाता है। लिखित सहमति पश्चात प्रार्थी की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेरबदल नही किया जावें। प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावें। अतः भू. अ. निरीक्षक उकरूंद मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण एवं पडौसीयान की उपस्थिति में पत्थरगढी कर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार मण्डावर को पालनार्थ हेतु लिखा जावे।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)